INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP01084299571311X

e-Stamp

8/25

Certificate No.	:	IN-UP01084299571311X
Certificate Issued Date	:	15-Feb-2025 01:57 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14234204/ KASIA/ UP-KSN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14234204992148930935 88X
Purchased by	:	SMT SHARDA DEVI WO BHUWNESHWAR PD JAISWAL
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SMT SHARDA DEVI WO BHUWNESHWAR PD JAISWAL
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SMT SHARDA DEVI WO BHUWNESHWAR PD JAISWAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	850 (Eight Hundred And Fifty only)

Signature

ACC Nama-Manoj Kumar Srivastava
ACC Code-UP14234204 Lic No-43
ACC Adress Tahasil Compound Kasia
Distric-Kushinagar
Mob.-9628627711

Please write or type below this line

शारदा देवी

0027559994

Statutory Alert:

(निकट बुद्धा होटल), पं0 दीन दयाल उपाध्याय वार्ड नगर पालिका परिषद कसया, तहसील–कसया, जिला–कुशीनगर (उ0 प्र0) में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बाबत इसका प्रशासनिक कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों के पंजीकरण व मान्यता के सम्बन्ध में सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता होने पर भारत के बाहर भी नियमानुसार ट्रस्ट के कार्यो का संचालन किया जा सकेगा।

3. यहकि हम मुकिरा ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक मुख्य ट्रस्टी व मैनेजिंग ट्रस्टी होंगी तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कही जाऊँगी। हम मुकिरा द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित किया जा रहा है। भविष्य में हम मुकिरा द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। जिनकी कुल संख्या 3 से कम तथा 9 अधिक नही होगी ट्रस्टी का पद किसी भीदशा में लाभ का नही होगा और न ही इस पर किसी प्रकार का बाद विवाद किया जायेगा। भविष्य में हम मुकिराद्वारा नामित ट्रस्टीगण तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मंडल/ ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है:–

 1. श्री भुवनेश्वर प्रसाद जायसवाल पुत्र स्व0 भगवान प्रसाद जायसवाल निवासी मुहल्ला–बीर अब्दुल हमीदनगर, पोस्ट–पड़रौना, जिला–कुशीनगर।
 2. श्री शैलेन्द्र कुमार जायसवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश जायसवाल निवासी ग्राम–शिव बुजुर्ग, जिला–कुशीनगर।
 3. श्रीमती मिथिलेश जायसवाल पत्नी श्री मोहित कुमार जायसवाल निवासी 151/4, रथ खाना, अमीनाबाद, लखनऊ।

4. यहकि हम मुकिरा द्वारा **"परमज्योति शारदा फाउण्डेशन ट्रस्ट"** के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

 1. समाज के आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक कार्यो को सम्पन्न कर प्रदूषण रहित स्वस्थ वातावरण बनाये रखने से सम्बन्धित आवश्यक कार्यो को सम्पन्न करना।
 2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना और जनसामान्य को शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाते हुए प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।
 3. छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये बेसिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त कर नर्सरी, प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल, एवं यू0पी0 बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0) से अनुमन्य प्राईमरी से लगायत सीनियर सेकेन्ड्री (10+2) स्तर के विद्यालयों के साथ ही साथ स्नातक, स्नात्तकोत्तर स्तर के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय की स्थापना कर उनका संचालन करना।
 4. देश के किसी क्षेत्र में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर तक की सामान्य शिक्षा/तकनीकी शिक्षा, गैर तकनीकी शिक्षा, इन्जीनियरिंग एवं डिप्लोमा तथा विधि शिक्षा हेतु महाविद्यालय

शारदा देवी

आवेदन सं०: 202500957001274

न्यास पत्र

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 8 | वर्ष: 2025

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 850 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580

शारदा देवी





श्रीमती शारदा देवी ,
पत्नी श्री भुवनेश्वर प्रसाद जायसवाल
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: सा०- एन एच 28-बी (निकट बुद्धा होटल) पण्डित दीनदयाल उपाध्यायनगर कसया कुशीनगर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 15/02/2025 एवं 03:02:14 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

चन्द्र शेखर शाही
उप निबंधक :कसया
कुशीनगर
15/02/2025

मुन्नी लाल प्रसाद
निबंधक लिपिक
15/02/2025



ट्रस्टडीड (न्यास पत्र)

हमकि **श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री भुवनेश्वर प्रसाद जायसवाल निवासी एन0 एच0 28–बी, (निकट बुद्धा होटल), पं0 दीन दयाल उपाध्याय वार्ड नगर पालिका परिषद कसया, तहसील–कसया, जिला–कुशीनगर (उ0 प्र0)** की हूं। हम मुकिरा जनहित के कार्यो को सम्पादित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हूं और समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करती रहती हूँ। हम मुकिरा की हार्दिक इच्छा है कि जनसामान्य का सर्वांगीण विकास कर समाज में सुख–शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्वास, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो तथा समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा व आवास की व्यवस्था होने के साथ ही साथ शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। जनहित में उक्त प्रकार के कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान कर विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये विभिन्न समितियों एवं संस्थाओं का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये हम मुकिरा द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। उक्त प्रकार के कार्यो के संचालन तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत **10000/–(दस हजार) रूपये** का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचंल सम्पत्ति की व्यवस्था मैं करती रहूँगी। हम मुकिरा अपने द्वारा स्थापित न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत निम्नवत एक न्यासपत्र को भी निष्पादित कर रही हूँ–

1. यहकि हम मुकिरा द्वारा स्थापित न्यास का नाम **"परमज्योति शारदा फाउण्डेशन ट्रस्ट"** होगा जिसे इस न्यासपत्र में आगे **"न्यास"** या **"ट्रस्ट"** शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यहकि हम मुकिरा द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय **एन0 एच0 28–बी,**

शारदा देवी



एवं शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान, बी0 एड0, डी0 एल0 एड0, बी0 टी0 सी0, डी0 एल0 एड0, बी0 पी0 एड0 कालेजों को स्थापित व संचालित करना।

5. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये टेक्निकल कालेज, पालिटेक्निक व आई0टी0आई0 संस्थान की स्थापना कर अनुमन्य ट्रेड में शिक्षण व प्रशिक्षण प्रदान कर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीनिंग, पेन्टिग, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत, कुकिंग/बेकरी, मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण, फीटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो व टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, मोटर वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण विद्यालय, एयर कन्डीशनर रिपेयरिंग, राजगीर मिस्त्री, सरिया फीटर, सटरिंग कारपेन्टर, फर्नीचर कारपेन्टर, प्लम्बर, वेल्डिंग, गैसकटर, ग्राइन्डर, इन्सूलेसन, सेफ्टी आफिसर, मोटर एवं क्रेन आपरेटर, डेन्टिंग, पेन्टिंग, फेब्रीकेटर, मशीन आपरेशन का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के योग्य बनाना और उनके लिये प्रशिक्षण/अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, छात्रावास इत्यादि की व्यवस्था करना।
6. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, परामर्श केन्द्र, बारात घर, खेल मैदान, योग प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना करना।
7. सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी से सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
8. कैन्सर, एड्स, टी0बी0, कुष्ठ, मलेरिया, पोलियो, इन्सेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस, कोविड–19, जैसे रोगों की रोकथाम/नियन्त्रण/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जनसामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।
9. फार्मेसी के साथ ही साथ अन्य चिकित्सकीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों की स्थापना व संचालन करना तथा आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करना।
10. आर्युवेदिक औषधालयों का संचालन करना तथा चिकित्सा व औषध विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना कर शोध ईकाईयों के माध्यम से उसके परिष्कार व परिमार्जन के लिए सतत् प्रयत्नशील होना।
11. स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करना तथा कैम्प एवं सेमिनार आयोजित कर सार्वजनिक स्थानों के स्वच्छता का अभियान चलाकर समाज को रोगमुक्त करना। टीकाकरण तथा नेत्र–ज्योति शिविर का आयोजन करना और चिकित्सालयों का निर्माण कर चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य संचालित करना, स्वच्छता के प्रति लोगो को जागरूक करना, रक्तदान के प्रति लोगो को जागरूक करना, रक्तदान शिविर का आयोजन करना।
12. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत गरीब व्यक्तियों व उनके परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्य सम्पन्न करना तथा गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना।
13. टीकाकरण तथा नेत्र–ज्योति शिविर का आयोजन करना और चिकित्सालयों का निर्माण कर चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य संचालित करना तथा विभिन्न रोगों के रोकथाम के लिए जरूरी उपकरणों की व्यवस्था कर जनसामान्य को लाभान्वित करना।
14. जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, अन्न, वस्त्र, आवास, औषधि और शिक्षा से वंचित मनुष्यों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना। इस हेतु अन्नपूर्णा केन्द्रों का संचालन कराना तथा जनहित के कार्यो को सम्पन्न कर लोगों को बिना किसी भेदभाव के लाभान्वित करना।
15. मनुष्य के चारित्रिक दोषों को दूर कर उन्हें स्वाध्याय के लिये प्रेरित करने हेतु गुरू स्थानों/आश्रमों की स्थापना कर धार्मिक व अन्य सामाजिक हित के कार्य हेतु निःस्वार्थ

शारदा देवी

आवेदन सं०: 202500957001274

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 8 वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमु ा व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: 1

श्रीमती शारदा देवी, पत्नी श्री भुवनेश्वर प्रसाद जायसवाल

निवासी: सा०- एन एच 28-बी (निकट बुद्धा होटल) पण्डित दीनदयाल उपाध्यायनगर कसया कुशीनगर

व्यवसाय: गृहिणी शारदा देवी



ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान पहचानकर्ता : 1

श्री शिवांश दुबे , पुत्र श्री अशोक कुमार दुबे

निवासी: सा०- अल्खी छापर उर्फ़ लक्ष्मीपुर तरकुलवा देवरिया

व्यवसाय: कृषि

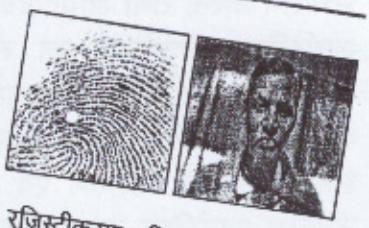
पहचानकर्ता : 2 शिवांश दुबे



श्री जयप्रकाश वर्मा , पुत्र श्री रामनरेश वर्मा

निवासी: सा० अनरुद्धावा पोस्ट व जिला कुशीनगर

व्यवसाय: कृषि जयप्रकाश वर्मा



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

चन्द्र शेखर शाही
उप निबंधक : कसया
कुशीनगर
15/02/2025

मुन्नी लाल प्रसाद
निबंधक लिपिक कुशीनगर
15/02/2025

भाव से निर्माण व मरम्मत कराना और इस हेतु आवश्यक व्यवस्था करना, एवम् तत्काल सुविधा पाने हेतु सड़क, ट्रेन, बस दुर्घटना में जख्मी व्यक्तियों गर्भवती महिलाओ, बीमार , असहाय, वृद्ध व्यक्तियो को निकटवर्ती अस्पताल पहुचने अथवा दुसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाइल इमरजेंसी एम्बुलेंस की व्यवस्था करना।

16. उपेक्षित और अपमानित माताओं–पिताओं के लिये बृद्धाश्रम एवं श्रवण धाम की स्थापना करना जिससे वे अपनी शेष जीवन यात्रा प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण कर सकें।
17. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना। विभिन्न त्यौहारों पर होने वाले भोजन, धन तथा अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु प्रशिक्षित करना।
18. मनुष्य के चारित्रिक दोषों को दूर कर उन्हें स्वाध्याय के लिये प्रेरित करने हेतु गुरू स्थानों/आश्रमों की स्थापना कर धार्मिक व अन्य सामाजिक हित के कार्य हेतु निःस्वार्थ भाव से निर्माण व मरम्मत कराना और इस हेतु आवश्यक व्यवस्था करना।
19. सनातन हिन्दू धर्म व उसके सिद्धान्तो का प्रचार–प्रसार करने तथा साहित्य एवं ज्योतिष के अध्ययन और वास्तु, दर्शन, वेद, पुराण आदि प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराकर इसके मर्मज्ञ एवं विद्वान तैयार करना।
20. आध्यात्मिक चिन्तन द्वारा सभी आत्मा में परमात्मा का दर्शन करते हुए समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए अपने संस्कृति, संस्कार, शिष्टाचार, स्वास्थ्य, समृद्धि, स्वाभिमान एवं पुरूषार्थ की रक्षा हेतु आश्रमों, सत्संग केन्द्रों, योग शिविरों की समुचित व्यवस्था करना।
21. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना और विकलांगों, गूंगे, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिये विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की व्यवस्था करना।
22. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब, निराश्रित, अनाथ बच्चों, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग लोगो को सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना तथा इस हेतु विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन की व्यवस्था करना।

23. विकलांगो के विकास एवं उनके पुर्नवास की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करना और महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।
24. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल–मोटल का संचालन करना तथा इस सम्बन्ध में शैक्षणिक व धार्मिक यात्राओं/टूर पार्टियों का आयोजन एवं संचालन करना।
25. किसी भी प्रकार के जनहित के सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग करना तथा इसके बावत आवश्यकतानुसार छाजन एवं टेन्ट, कुर्सी, मैट, विद्युत सामग्री व ध्वनि विस्तारक यन्त्र इत्यादि की व्यवस्था करना।

26. शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराने से सम्बन्धित संसाधनों की व्यवस्था के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना व संचालन में सहयोग प्रदान कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना और औद्योगिक कारखाना स्थापित कर प्रोडक्शन, ट्रेडिंग, मार्केटिंग से सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करना, शिक्षा प्रचार प्रसार/ उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/ की, गैर तकनीकी शिक्षा / विधि शिक्षा / शिक्षा – प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना । समाज/स्थानीय आवश्यकताओ को देखते हुए किड- केयर, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक

शारदा देवी।

स्कुलो तथा डिग्री आफ पीजी कॉलेज की स्थापना करना तथा आमदनी के स्त्रोत हेतु महाविद्यालय कंपाउंड में दुकान व् आवास का निर्माण करना एवम् शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओ के कमजोर विद्यार्थीयों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे – मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पीसीएस, आईएएस, में प्रवेश की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटरों की व्यवस्था करना।

27. खाद्य प्रसंस्करण एवं फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना तथा अनाज, फल व सब्जियों के समुचित मण्डारण और सुरक्षा के बावत आवश्यक कार्य करना।
28. युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यकम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन करना।
29. प्रकृति और जीव जन्तुओं के बीच आपसी सन्तुलन बनाये रखने के लिए लाचार बेवस बेसहारा पशुओं की देखभाल व सेवा से सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करना एवम् जल, वायु, मृदा एव ध्वनी प्रदुषण की जानकारी नियंत्रण। उन से होने वाली बीमारियों के बारे में युवाओ को जागरूक एव प्रशिक्षित करने के लिए रचनात्मक दिशा में कारगर कदम मठाना। प्राकृतिक आपदा जैसे – हैजा, प्लेग, कोरोना, भुखमरी, बाढ, आग, सुखा, अकाल, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगो की सहायता करना तथा प्रभावित गावो, व्यक्तियों एव पशुओ का संरक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। इसी दशा में लोगो को बचाव एवं भावी रणनीति के लिए सहयोग/जागरूकता तथा प्रशिक्षित करना है, इसके लिए लोगो/ संस्थापक कंपनियों आदि से आर्थिक सहायता भी लिया जा सकता है। इसमे शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी सामिल है।

30. पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य कर प्रदूषण नियन्त्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर वृक्षारोपड़ एवं वन विकास से सम्बन्धित कार्यों को करना एवम् विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओ की सहायता से बाल शिक्षा बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, पेयजल, स्वच्छता, जनसँख्या वृद्धि एवं परिवार कल्याण योजनाओ को क्रियान्वित करना, जिसमे जागरूकता प्रशिक्षण/ कैम्प सहायता एवं हैंड- पाइप की व्यवस्था करना। एवम विभिन्न प्रकार के खेल जैसे – योगा, जिमनास्टिक, जुडो, कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एव पारम्परिक ग्रामीण खेलो को बढ्ढावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना एवम परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसँख्या वृद्धि नियंत्रण, परिवार नियोजन, टीकाकारण के क्षेत्र में जागरूकता/ प्रशिक्षण दवा/ किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ- साथ परिवार कल्याण परामर्श केंद्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।
31. आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण व औषधालयों का संचालन करना तथा चिकित्सा व औषध विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना कर शोध ईकाईयों के माध्यम से उसके परिष्कार व परिमार्जन के लिए सतत् प्रयत्नशील होना।

श्रद्धा देवी

32. कृषि, गौ, वन्य औषधियों एवं जीव–जन्तुओं का संरक्षण एवं परिपोषण करना तथा सरकारी, अर्द्धसरकारी व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी–बूटी वाले पौधों का उत्पादन करना।
33. गौ सेवा से सम्बन्धित कार्यो का संचालन करना तथा गो रक्षा हेतु गौशालाओं की स्थापना व चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना। गौ बध रोकने की हर सम्भव प्रयास करना तथा गौ प्रजाति की उपयोगिता को जन–जन तक पहुँचाना।
34. गोवंश की रक्षा, भरण पोषण इत्यादि की व्यवस्था करना और इस हेतु गोशालाओं की स्थापना करना तथा डेयरी फार्म व दुग्ध विकास के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु आवश्यक कार्यों को निःस्वार्थभाव से करना।
35. पर्यावरण से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य कर प्रदूषण नियन्त्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन तथा वृक्षारोपड़ एवं वन विकास से सम्बन्धित कार्यों को करना। नदियों तथा तालाबों की स्वच्छता के लिए आवश्यक कायक्रम चलाना।
36. संस्था के द्वारा खादी ग्रामोद्योगी कारीगरो तथा औषधिक निर्माताओं का सहयोग प्राप्त कर उसके माध्यम से प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन करना।
37. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन की व्यवस्था कराना।
38. कृषि, लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नये–नये वैज्ञानिक तकनीक एवं कृषि यन्त्रों का उपयोग कराना तथा कृषि से सम्बन्धित बीमारियों से सुरक्षा के लिये आम लोगों विशेष तौर पर किसानों को प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना। इसके अतिरिक्त खेती को बीमारियों से बचाने के लिए दवा, उर्वरक एवं कृषि यन्त्रों की समुचित व्यवस्था करने हेतु शिविर लगाकर आवश्यक जानकारी देकर सहयोग प्रदान करना।
39. विभिन्न कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधायुक्त प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना एवम् संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि, मकान तथा वाहनों को खरीदना – बेचना उन्हें किराये या लीज पर लेन-देन करना मार्गेज करना या मकान बनवाना बेचना आदि।
40. यूनीसेफ, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन व कौशल विकास प्रशिक्षण का संचालन करना।
41. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना और विभिन्न त्यौहारों और समारोहों पर होने वाले भोजन, अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु प्रयास करना। इसके अलावा भूखे व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए लंगर का संचालन करना एवम सड़क के बच्चे, छोड़े हुए बच्चे बाल मजदुर बाल शोषण से पीड़ित बदर देह व्यापर में फसे बच्चे, बिक्लान्गता के कारण असहाय बच्चे, नशा करने वाले बच्चे क़ानूनी विवाद में फसे बच्चे बाल सुधार गृह में रहने वाले बच्चे मानसिक रूप से पीड़ित बच्चे, भीख मांगने वाले एचआईवी से संक्रमित, राजनितिक शरणार्थी बच्चे, जेल में बंद बच्चो के लिए हर संभव सहायता प्रदान करना व् शासन और प्रशासन से सहायता दिलाने का प्रयास करना।
42. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क, खड़न्जा, पिच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना।
43. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे–योग, जिम्नास्टिक, जूडो, कराटे, कबड्डी तथा अन्य ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा उनका प्रशिक्षण/प्रतियोगिता कराना।
44. पंचायती राज, उपभोक्ता संरक्षण एवं मोटर वाहन अधिनियम व पारिवारिक विधि के बारे में जानकारी एवं जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रों की व्यवस्था कर महिलाओं तथा गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना।

शारदा देवी

45. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, मास मीडिया, पोर्टल मीडिया, सोशल मीडिया तथा ब्राडकास्टिंग के जरिये जनसामान्य को प्रेरित एवं प्रशिक्षित कर छुआछूत, ऊँच–नीच, धर्म और सम्प्रदाय से अलग समाज के सामुदायिक विकास के कार्यो को सम्पन्न करना तथा इसके बावत वाट्सप ग्रुप, वेबसाईट, यूट्यूब चैनल व आनलाईन कोर्सेज का संचालन कर समाज में साम्प्रदायिक तालमेल बनाये रखने का कार्य करना एवम् बीडी, सिगरेट, तम्बाकू, पान- मसाला, गांजा- भांग, स्मैक, शराब एलसीडी या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगो को उन से होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति केन्द्रों व् चिकित्सालयों की व्यवस्था करना एवम् समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे – अन्धविश्वान, बाल विवाह, दहेज़ प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, अस्पृश्यता, जाति – पात एवं छुआ- छूत की भावना, स्वैच्छिक भावना के कमी को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता/ प्रशिक्षण व्यवस्था करना।

46. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित कर अन्य सरकारी या गैर सरकारी तंत्र अथवा एन0 जी0 ओ0, एसोसिएशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देकर उनके कार्यों में सहयोग देना तथा सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करना।
47. अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने विचारों के संप्रेषण के लिये मास–मीडिया का उपयोग तथा स्थापना करना एवं लोक–शिक्षण हेतु ग्रंथों के प्रकाशन और गोष्ठियों के आयोजन तथा धार्मिक कथाओं, रामलीला मंचन इत्यादि द्वारा मानव में चेतना के विकास से समाज में मानवता के प्रति संवेदनशीलता को जागृत करना एवम् उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिन को विभिन्न विभागों व एनजीओके माध्यम से चलाया जा रहा है।
48. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5. **ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्त्तव्य–**

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति तथा इसके विभिन्न ईकाइयों के सुचारू व्यवस्था हेतु संस्थाओं की स्थापना कर इसके समितियों व उपसमितियों का गठन करना तथा ट्रस्ट के अधीन समितियों के सुचारू संचालन के लिये नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।
3. ट्रस्ट के द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रबन्ध समिति के गठन हेतु पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित करना तथा आवश्यकतानुसार साधारण सभा का गठन करना।
4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि प्राप्त करना।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख–भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

शारदा देवी

7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बाबत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार कर अन्य कार्यों को करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में

व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, गैर–सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना। इस सम्बन्ध में आवश्यक होने पर ट्रस्ट के सम्पत्तियों को बंधक इत्यादि रखने से सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करना और इस हेतु दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी सहित अन्य ट्रस्टी को अधिकृत करना।

10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्टमण्डल सहमती द्वारा ट्रस्ट के हित में संकल्पित कार्यों को करना।
11. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा–80 जी.जी. के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
12. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर–तकनीकी विद्यालयों एवं इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/ परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर आवश्यक कार्य करना।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था

(क) <u>ट्रस्ट का गठन एवं संचालन–</u>

<u>ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:–</u>

1. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्ही परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख–रेख में कराया जा सकेगा और इस स्थिति में मुख्यट्रस्टी का निर्णय सभी के लिये मान्य होगा।
2. ट्रस्ट की मुख्यट्रस्टी हम मुकिर होंऊँगी और मुख्यट्रस्टी अपने जीवनकाल में अगले मुख्यट्रस्टी को नामित करने के लिए अधिकृत होंगे। हम मुकिरा के द्वारा नामित मुख्य ट्रस्टी के न रहने पर हम मुकिरा के विधिक उत्तराधिकारियों में से योग्य एवं ट्रस्ट के लिए हितैषी को तत्कालीन ट्रस्टमण्डल के द्वारा ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित किया जायेगा।
3. मुख्यट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी ही मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा। किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्यागपत्र देने

(शेष) देयी।

अथवा मृत्यु होने पर ट्रस्ट मण्डल में हुई रिक्त स्थान की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

4. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में मुख्य ट्रस्टी के द्वारा उन्हें

ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल से अलग किये गये ट्रस्टी को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा और न तो उनके द्वारा किये गये प्रतिवाद या दावे की कोई पोषणीयता ही होगी।

5. ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था अथवा इन्स्टीच्यूट की नियामक संस्था या विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिये नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के प्रावधानो के क्रम में उसकी प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा।
6. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
7. ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मंडल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्चे व उसके संबंध में प्रस्तुत व्यय राशि से संबंधित बिलों व बाउचरों को स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 7 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।
2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया–कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक एवं अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना। ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मत होने की स्थिति में अपना निर्णायक मत देना।
2. ट्रस्ट मण्डल की ओर से इसके समस्त पदाधिकारियों में कार्यों का विभाजन करना और आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौंपना तथा अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से सरकारी, गैर सरकारी विभागों तथा संस्थाओं से सहयोग व सहायता प्राप्त करना।
3. इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबन्धक के रूप में कार्य करेंगे तथा आवश्यक होने पर दूसरे व्यक्ति को प्रबन्धक के पद हेतु प्रस्तावित भी कर सकेंगे।

शारदा देवी

4. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
5. ट्रस्ट की कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
6. ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित कर उसकी सूचना ट्रस्टीगण को देना।
7. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब–किताब तथा रिर्पोट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।
8. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
9. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
10. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट के मुख्य प्रबन्धक के रूप में ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के समस्त कार्यो को करना।
11. ट्रस्ट के आय–व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
12. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करना।

8. ट्रस्ट के कोश की व्यवस्था

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋण राशियॉ निहित होंगी। ट्रस्ट के नाम बैंक में खाता मुख्य ट्रस्टी एवं ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के द्वारा संयुक्त रूप से खोला जायेगा, जिसका संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा आवश्यकतानुसार अन्य सहखातेदार ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

9. ट्रस्ट के अभिलेख

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

10. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी:–

1. ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी जिसे ट्रस्ट मण्डल निर्धारित करे, अधिकृत होंगे।
2. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण व विक्रय के लिये नियमानुसार कार्यवाही कर सकेंगे।
3. ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुॅचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा।
4. ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
5. ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।

शारदा देवी

6. ट्रस्ट के लेखापरीक्षण हेतु मुख्यट्रस्टी द्वारा लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।
7. ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति के साथ ही साथ ट्रस्टमण्डल ट्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिये आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।
9. ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बाबत भी यह शर्तें लागू होंगी।

11. ट्रस्ट द्वारा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड व सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय के संचालन के सम्बन्ध में शासन के निम्नांकित प्रतिबन्ध स्वीकार होंगे–

a. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
b. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
c. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
d. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
e. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
f. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्मित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।
g. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
h. उक्त शर्तों में शासन के पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

12. ट्रस्ट के प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारित निम्नलिखित प्रतिबन्धों का यथावत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा–

1. And Whereas nothing contained in this deed shall be deemed to authorize the trustees to do any act which may in any way be construed statutory modifications there of and all activities of the trust shall be carried out with a view to benefit the public at large, without any profit motive and in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961 or any statutory modification there of.

शारदा देवी

2. And Where as the trust in hereby expressly declared to be a public charitable trust and all the provisions of this deed are to be constitiuted accordingly.
3. IN OBJECT and PURPOSE- (a) The Trustee must hold the Trust Fund and the income derived in each accounting period on trust and pay or apply all or any part of the income and all or any part of the Trust Fund for the primary purpose and for other purposes primarily for the benefit of the Principal Beneficiary, as defined in the remainder of this clause, (b) No part of the income or the Trust Fund may be used for any payment of immediate Family Members or a child of the Principal Beneficiary including.
 (1) the provisión of care services, or (2) repair and maintenance of accommodation for the Principal Beneficiary.
4. Clauses for ensuring exemption under section 11 and 12 to the trust and enabling deduction under section 80 G to the donors to the trust,
5. AND IT IS HEREBY DECLARED–that the relief to be granted as herein above mentioned shall not be limited or restricted to persons of any particular caste or creed or religion. So far as it is not inconsistent with the object herein mentioned-
 (1) the income as also the corpus of the trust fund shall be applied and he applicable only to or for such public charitable purposes only and with in such territories only and subject to such conditions or limitations if any, as may from time to time be laid down in the Income Tax Act, 1961 or any other Act governing tax on of income as eligible for exemption from taxation under any other Act governing taxation for the time being in forcé in India,
 (2) The Trust hereby established shall be one to which the provisión of section 80 G of the Income tax act, 1961 or any replacement, re enactment or modification there of for the time being in forcé may apply so that any donation mode there to may be recognized as eligible for exemption or relief from tax in the hands of the donor''
6. The nature of the Trust will be irrevocable.
7. WINDING UP in the event of dissolution or winding up of the Trust the assets or maining as on the date of dissolution shall under no circumstances be distributed amongst the Trustees but the same shall be transferred to some other similar Trust/Organisation whose objects are similar to those of this Trust with the permission of the Charity Commissioner/Court/any other law as may be applicable for the time being.



घोशणा

"परमज्योति शारदा फाउण्डेशन ट्रस्ट" की तरफ से हम **श्रीमती शारदा देवी** मुख्य ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करती हूं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सके। यह भी घोषणा करती हूँ कि वर्तमान में इस विलेख में लिखित धनराशि मुबलिग 10,000.00 रूपया (दस हजार रूपया) के अतिरिक्त अन्य कोई चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट के पास नहीं है।

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

शारदा देवी

हस्ताक्षर साक्षीगण:

1.



- शिवंबु दूबे / अशोक कुमार दूबे अलखीद्यापर उर्फ लक्ष्मीपुर पो०- तरकुलवा तहसील - देवरिया जिला - देवरिया

6306166338

1705

2.



मजमूनकर्ता

मनोज कुमार व.ने.कक्षा
अनुज्ञप्ति सं० 21 तह० कक्षा
तारीख तारीख 15-02-2025

दिनांक: 15-02-2025

आवेदन सं॰ 20250095700127 4

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 33 के पृष्ठ 41 से 68 तक क्रमांक 8 पर
दिनाँक 15/02/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

चन्द्र शेखर शाही
उप निबंधक : कसया
कुशीनगर
15/02/2025